बिहार पुलिस मुख्यालय
(विशेष कार्य बल)
दिनांक–23.10.2024

पटना जिला का दो लाख का ईनामी कुख्यात अपराधी मो0 चॉद उर्फ मो0 आफताब एवं पच्चास हजार का ईनामी कुख्यात अपराधी अभिषेक मेहता उर्फ अभिषेक वर्मा अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार

- दिनांक 22.10.2024 को बिहार एस0टी0एफ0 की विशेष टीम द्वारा पटना जिला का दो लाख रूपये का ईनामी एवं कुख्यात वांछित अपराधी 01. मो0 चॉद उर्फ मो0 आफताब पे0 मो0 हाफीज सा0 महेन्द्रू थाना सुल्तानगंज जिला पटना एवं पटना जिला का पच्चास हजार रूपये का ईनामी कुख्यात वांछित अपराधी 02. अभिषेक मेहता उर्फ अभिषेक वर्मा पे0 शिवनाथ वर्मा सा0 छोटी पहाड़ी, सरकारी स्कुल के पीछे, थाना अगम कुऑ जिला पटना को चौक थाना कांड सं0 498/24 दिनांक 22.10.2024 धारा 308(3)/308(4)/3(5) बी0एन0एस0 में चौक (पटना) थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया।
- बरामदगी :–

1. देशी पिस्टल 02
2. देशी रिवाल्वर 02
3. जिन्दा करतूस 27
4. नगद राशि 10,000 रूपये

- अपराधकर्मी मो0 चॉद उर्फ मो0 आफताब एवं अभिषेक मेहता उर्फ अभिषेक वर्मा पटना सिटी के क्षेत्र में रंगदारी को लेकर आतंक फैलाना चाहता था।
- उल्लेखनीय है कि उक्त गिरफ्तार अपराधकर्मियों द्वारा दिनांक 22.10.2024 को पटना के चौक थाना अन्तर्गत कुमार डेन्टल क्लीनिक के डॉक्टर से पॉच लाख रूपये की रंगदारी मांगी गई थी, एवं नही देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई थी। एस0टी0एफ0 की विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु पटना जिलाबल के साथ छापामारी की जा रही है।

- उक्त अपराधकर्मी के द्वारा दिनांक 02.01.2024 को खाजेकला थाना पटना के रहने वाले शमशाद उर्फ सोनु एवं मो0 छोटू उर्फ जोकर को गोली मार दिया गया था, जिसमें शमशाद उर्फ सोनु की मृत्यु हो गई थी।
- उक्त दोनों अपराधकर्मियों के विरूद्ध पटना जिला के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट सहित कई कांड दर्ज हैं।

STF